कार्यालय जिला पंचायत (ग्रामीण विकास) छिंदवाड़ा

रसोईयों का होगा चिन्हांकन, बैंकों में खुलेंगे खाते

जिला पंचायत सीईओ ने की मध्यान्ह भोजन योजना की समीक्षा

छिंदवाड़ा 29 जून 10 : मध्यान्ह भोजन योजनांतर्गत भोजन पकाने वाले रसोईयों को अब पारिश्रमिक प्रदान किया जाएगा । रसोईयों का चिन्हांकन कर बैंकों में खाता खोलने की प्रक्रिया की जाए । उक्त निर्देश कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. श्रीनिवास शर्मा ने मध्यान्ह भोजन योजना की समीक्षा के दौरान दिए । बैठक में प्रभारी अधिकारी एमडीएम श्रीमती प्रतिमा शुक्ला, डीपीसी सर्व शिक्षा अभियान श्री लाम्बा, जनपद पंचायत सीईओ, बीआरसी एवं अनुश्रवण समिति के सदस्यगण उपस्थित थे ।

डॉ. शर्मा ने कहा की 01 जुलाई से शुरू हो रहे नवीन शिक्षण सत्र की तैयारियां पूरी कर ली जाए । छात्र–छात्राओं को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । मध्यान्ह भोजन योजना में नए नियमों के तहत रसोईयों को 01 हजार रूपए पारिश्रमिक के तौर पर दिया जाएगा । उनका चिन्हांकन एवं बैंकों में खालने की प्रक्रिया तेज कर दी जाए। इस हेतु सभी संबंधितों को एक सप्ताह का समय दिया गया है । किचनशेड निर्माण की स्थिति पर चर्चा करते हुए जल्द से जल्द अधूरे कीचनशेड का निर्माण पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए गए । प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में सम्बद्ध स्व– सहायतों समूहों की संख्या एवं बैंक खाता क्रमांक की जानकारी अपडेट करने की बात कहीं गई । विकासखण्ड स्तर पर अनुश्रवण समिति की बैठकों का आयोजन करने के निर्देश दिए ।

भोजन पकाने की दरों में हुई वृद्धिः–

मध्यान्ह भोजन योजनांतर्गत भोजन पकाने की वर्तमान दरों में सरकार द्वारा वृद्धि की गई है। प्रभारी अधिकारी मध्यान्ह भोजन श्रीमती प्रतिमा शुक्ला ने बताया की 01 जुलाई 10 से प्रभावशील होगी । प्राथमिक शाला में वर्तमान दर 2. 08 रूपए प्रति छात्र से बढ़ाकर 2.69 रूपए प्रति छात्र एवं माध्यमिक शाला में वर्तमान दर 2.60 रूपए प्रति छात्र बढ़ाकर 4.03 रूपए कर दी गई है । इन दरों में भोजन पकाने का पारिश्रमिक तथा प्रशासनिक व्यय शामिल नहीं है बल्कि इस लागत में दाल, सब्जी, तेल, नमक एवं अन्य सामग्री की लागत शामिल है । नवीन परिवर्तन के अनुसार माध्यमिक शाला में दाल 25 ग्राम से 30 ग्राम तथा सब्जी 65 ग्राम से 75 ग्राम एवं तेल 10 ग्राम के स्थान पर 7.05 ग्राम दिया जाएगा ।